

कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

॥ ज्ञापन ॥

20 DEC 2024

जावक कं...../2024

उज्जैन, दिनांक -

प्रति,


समस्त न्यायाधीशगण
जिला न्यायालय उज्जैन एवं
तहसील न्यायालय बड़नगर/महिदपुर/नागदा/खाचरौद/तराना

विषय - अनडेटेड प्रकरण, डिले रीजन, अनअलोकेट केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस,
जजमेंट ऑर्डर अपलोडेड किये जाने बाबत।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आदेश अनुसार लेख है कि जिला न्यायालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालयों के सर्वर में प्रतिवर्ष अनुसार दिनांक 31.12.2024 को Year End Initialization की command को Execute किया जाना है। इस कारण से न्यायालयों के अनडेटेड प्रकरण, डिले रीजन, अनअलोकेटेड केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस, जजमेंट ऑर्डर नॉट अपलोडेड को अपडेट किया जाना आवश्यक हैं।

अतः समस्त न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान में अपने न्यायालय से संबंधित अनडेटेड प्रकरण, डिले रीजन, अनअलोकेटेड केसेस, अनरजिस्टर्ड केसेस, जजमेंट ऑर्डर नॉट अपलोडेड की कार्यवाही पूर्ण करवाये तथा दिनांक 31.12.2024 को शाम 05:00 बजे तक की स्थिति में उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करवाई जाना सुनिश्चित करें ताकि Year End Initialization की command को Execute निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सकें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला उज्जैन.